

प्रेमम्,

श्रीमत् प्रकाश कुमार,
संयुक्त शिक्षा,
उत्तर प्रदेश विद्यालय

सेवा में,

श्रीमत्,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
एन ० एम ० ३ इलाहाबाद,
प्रधान विचार, नई दिल्ली

शिक्षा 171 अनुभाग

तखतक: दिनांक: 19 जून, 2003

विषय:-

श्रीमत् सिटी पब्लिक स्कूल, इलाहाबाद, केन्द्र के संयुक्त प्रमुखों से संबंधित हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में उक्त राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आयातित नहीं है :-

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त सदभित विद्यालय को नई दिल्ली से संबंधित हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में उक्त राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आयातित नहीं है :-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत सौतापट्टी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/काजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र०मा० शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा वैदिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इकाई मिशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र०मा० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे ।

- 151 संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजस्वीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों का अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायीं जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा किवृत्ति का लाभ उपभोग कराये जायेंगे ।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समझ-समझ पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/संज्ञिकाओं में रखा जायेगा ।
- 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करते में किसी प्रकार की बूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भारतीय,

श्री प्रकाश कृष्ण
संयुक्त सचिव

पुस्तक एवं दिनांक तैय

प्रतिगति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, **लेठ** ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, **लेठ** ।
- 4- निरीक्षक, आंगन भारतीय विद्यालय, 3090, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, **लेठ सैदी परिवार कल्याण समिति, लेठ** ।
- 6- गार्ड फ़ाइल ।

आज्ञा से

श्री प्रकाश कृष्ण
संयुक्त सचिव